

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5137

(दिनांक 02.04.2025 को उत्तर के लिए)

अंगदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों को रियायत और प्रोत्साहन

5137. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) यदि सरकारी कर्मचारी अपने अंगदान करते हैं तो क्या उन्हें विभिन्न रियायतें और प्रोत्साहन मिलते हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ऐसे कर्मचारियों को उनकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि में भी प्राथमिकता मिलने की संभावना है; और
- (घ) यदि हां, तो ऐसे अंगदान की राज्यवार और अंगवार संख्या कितनी है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके अंगदान करने हेतु अधिकतम 42 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया है।
